

मध्य प्रदेश शासन
वित्त विभाग
:: मंत्रालय ::

कमांक: 663 /R-1667/2013/ब-1/चार,
प्रति,

भोपाल, दिनांक: 02/06/2015

अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
शासन के समस्त विभाग,
भोपाल।

विषय:-नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा शर्तें) अधिनियम,
1971 के उपबंध 14 एवं 15 के अंतर्गत निकायों/प्राधिकरणों की लेखापरीक्षा
बावत.

संदर्भ: महालेखाकार (सामा0 एवं सामाजिक क्षेत्र लेखापरीक्षा) म0प्र0 ग्वालियर
क0 ओ.ए.डी.21/जावक/61, दिनांक 22/05/2015 ।

--:000:--

विषयान्तर्गत संबंध में लेख है कि Regulation on Audit and Accounts. 2007 के
प्रावधानों के अनुसार शासन/विभागाध्यक्षों द्वारा प्रतिवर्ष जुलाई माह के अंत में ऐसे
संस्थानों/निकायों की जानकारी लेखापरीक्षा को प्रेषित की जाने चाहिए, जिन्हें पिछले
वित्तीय वर्ष में रूपये 10 लाख अथवा अधिक का ऋण/अनुदान स्वीकृत किया गया
हो।

कृपया उपरोक्त दोनों श्रेणियों में आने वाले आपके विभाग से संबंधित
संस्थानों/निकायों की विस्तृत जानकारी निम्नानुसार प्रपत्र में महालेखाकार (सामा0
एवं सामाजिक क्षेत्र लेखापरीक्षा) म0प्र0 ग्वालियर को प्राथमिकता के आधार पर
भेजते हुए वित्त विभाग को भी अवगत कराने का कष्ट करें।


निकाय/प्राधिकरण का नाम	ऋण/अनुदान की राशि (01अप्रैल2014से मार्च 2015)	ऋण/अनुदान का उद्देश्य	निकाय/प्राधिकरण के व्यय का विवरण	टिप्पणी
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)


(संदीप यादव)

संचालक बजट
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग

//2//

पृ0कमांक: 664 / R-1667 / 2013 / ब-1 / चार, भोपाल, दिनांक: 02 / 06 / 2015
प्रतिलिपि:
1 / महालेखाकार (सामा0 एवं सामाजिक क्षेत्र लेखापरीक्षा) म0प्र0 ग्वालियर
की ओर सूचनार्थ ।


अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग